इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक- 08.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लोक सम्पत्ति (जनता/सार्वजनिक) को हानि/नुकसान पहुंचाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते लोक सम्पत्ति (जनता/सार्वजनिक) को हानि/नुकसान पहुंचाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.11.2011 को ग्राम महिपालपुर क्षेत्र के लेखपाल श्री बलबीर सिंह द्वारा थाना बकेवर पर अभियुक्त किशनचन्द्र के विरूद्ध गाटा सं0 274 पर छोडे गये रास्ते पर चुपके से निर्माण कर टीन व दीवार से रास्ता अवरुद्ध कर देने के संबंध में **मु0अ0सं0 410/2011 धारा 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 मलखान सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण किशनचन्द्र पुत्र रामसेवक निवासी महिपालपुर थाना बकेवर जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार एवं मानीटरिंग सैल व APO श्री संजय कुमार द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 08.11.2023 को अन्तर्गत धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में मा0 न्यायालय ACJM-IV इटावा द्वारा 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 1,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **किशनचन्द्र पुत्र रामसेवक निवासी महिपालपुर थाना बकेवर जनपद इटावा।**